कार्यालय मीरजापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मीरजापुर

निर्माण हेतु अनुज्ञा-पत्र

श्री/श्रीमती कुंज बिहारी लाल रियल्टी प्रा०लि० बजरिये

पुत्र/पत्नी/श्री विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल,

निवासी बरौंधा कन्दर, मीरजापुर

अनुज्ञा पत्र सं० 10 /2015 –2016 दिनांक 20.01.16

उपर्युक्त वर्णित व्यक्ति को प्लाट नं० — मकान नं० — वार्ड नं० — आराजी नं० 129, 132 व 135, 512 आदि मोहल्ला बरौंधा कन्दर के स्वीकृत नक्शे में दिखाये गये निर्माण के निष्पादन की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ दी जाती है।

1. यह अनुमति निर्माणकर्ता कार्य विनियमन अधिनियम 1958 (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग आपरेशन ऐक्ट 1958 की धारा- 7 की उप धारा-2 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। इससे न तो किसी को सम्पत्ति का अधिकार मिलता है न ही कोई अधिकार अथवा निर्योज्ञता समाप्त होते हैं, न तो विधि विवन्त (स्टापेल) अथवा एडमिशन प्रभाव होता है, सम्पत्ति के अधिकार को प्रभावित करता है। और न कोई अन्य वैधानिक प्रभाव होता है।
2. प्रदान की गयी स्वीकृत, यह समाधान हो जाने पर की प्रार्थी द्वारा दिये गये विवरण तथा नक्शे भ्रामक और गलत तथ्यों पर आधारित है, सचिव द्वारा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. नालियों के ऊपर सीढ़ियों का प्रोजेक्शन या आरकेड, बालकनी, छज्जा, कार्निस प्रकार के कोई भी प्रोजेक्शन की अनुमति नहीं दी जाती है, भले ही यह स्वीकृत नक्शों में दिखाये गये हो। प्रोजेक्शन के लिए अलग से नक्शा दाखिल करना तथा अधिकारी की स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. स्वीकृत नक्शे में दिखाई गई कुर्सी की ऊँचाई सड़क की मध्य सतह से गणना की जायेगी सीढ़ियों का निर्माण निर्माणकर्ता की अपनी भूमि पर होना चाहिए। यदि सड़क तैयार नहीं है तो निर्माणकर्ता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सड़क को सतह निर्धारित हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
5. पार्श्ववर्ती नक्शे में दिखाये गये कुर्सी की ओर दरवाजे अथवा निकास रखने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसी प्रकार नक्शे में दिखाये गये दरवाजे या निकास सड़क या ऐसी भूमि की ओर रखने की अनुमति नहीं दी जाती है जिस पर मकान मालिक का अधिकार न हो।
6. दिवाले और छत पक्की होनी चाहिए और भवन के किसी भाग में ज्वलनशील पदार्थ नहीं चुने जाने चाहिए तथा नींव मजबूत रखनी चाहिए। ताकि उपरी ढाँचे का सहारा रहे यदि स्वीकृत नक्शे में उल्लेख हो तो पनालेदार लोहे के सन्देश कमरे या दुकान के सामने इस प्रतिबन्ध के साथ लगाये जा सकते है की वह दरवाजे या खिड़की के ऊपर प्रेकेट से स्थिर कर दिये जाये और उनसे सड़क या ऐसी भूमि जिस पर मकान का स्वामित्व ना हो पर किसी प्रकार प्रेक्षण (प्रोजेक्शन) हो।
7. निर्माण कार्य के दरम्यान सड़क की नालियों को लोहे की चादर या लकड़ी तख्तों से ढक देनी चाहिए ताकि नालियां अवरूद्ध (न हों।
8. टूटटीयों का निर्माण उसी प्रकार से किया जाना चाहिए जैसा कि स्वीकृत नक्शे में दिखाया गया है और उनका स्पेशीफिकेशन बाईलॉज में प्रविधान के अनुसार होना चाहिए।
9. बिना स्वीकृति प्राप्त किये कोई निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। निर्माण कार्य करते समय यदि किसी रद्दो बदल की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसके लिए सचिव की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. यह अनुमति किसी निर्माण-कर्ता या उसके अधिकर्ता को सड़क के किसी भाग या सार्वजनिक भूमि पर डाड़ बाँधने या बिजली के तारों के नजदीक निर्माण करने का अधिकार नहीं देती हैं। जब तक कि बिजली के तार सुरक्षित स्थान तक हटा न दिये गये हों। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद से अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा निर्धारित शुल्क राज्य विद्युत परिषद में जमा कर दिया जाना चाहिए।
11. भू स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने पर जोखिम आवेदनकर्ता की होगी तथा जिस पर उसका स्वत्व साबित नहीं होगा/उस पर बना निर्माण धराशायी कर दिया जायेगा।
12. यह अनुज्ञा दिनांक 19.01.2021 तक वैध है यदि आपको ऐसा लगे कि इस अवधि में आपका निर्माण कार्य पूरा न हो सकेगा तो आप इस तिथि से 2 माह पूर्व नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
13. सड़क के मध्य से दिखाये गये भूखण्ड दूरी के अनुसार ही निर्माण करना होगा यदि पक्षगण रोड की निर्दिष्ट चौड़ाई पर कोई निर्माण करता है तो पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा। उस पर बना निर्माण बिना नोटिस धराशायी कर दिया जायेगा।

संलग्न :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

20-01-16

सचिव

मीरजापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र

विकास प्राधिकरण मीरजापुर

मीरजापुर-विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मीरजापुर

14736 **प्राप्त धनराशि की रसीद** मानचित्र सं0 : 10/2015-2016

नम्बर दिनांक 20-01-16

~~श्री / श्रीमती~~ कुंज बिहारी लाल रियल्टी प्रा० लि०, बजरिये

पिता / पति / पुत्र श्री त्रिभुवनाथ प्रसाद अग्रवाल

स्थल निर्माण पता बरौंधा अन्दर आ०सं० 129, 132 व 135, 472 का कुंज भगा, मीरजापुर

- मानचित्र शुल्क रू0 ....
- विकास शुल्क / सुदृढ़ीकरण शुल्क रू0 81112.00
- अम्बार शुल्क रू0 ....
- पर्यवेक्षण शुल्क रू0 44597.00
- भू–विभाजन शुल्क रू0 ....
- फार्म बिक्री शुल्क / विविध शुल्क सिटी/एरिया डेवलपमेन्ट शुल्क रू0 1626059.00
- शमन शुल्क रू0 ....
- पंजीकरण शुल्क / नवीनीकरण शुल्क 19191 बैंक का रू0
- चेक / ड्राफ्ट सं0 016511 दिनांक 7-1-16 कुल योग रू0 1751768.00

शब्दों में रूपये सत्तरह लाख इक्यावन हजार सात सौ अड़सठ रूपये प्राप्त किया।

ह0 सचिव / एकाउन्टेन्ट / लिपिक
मी0वि0वि0क्षे0वि0प्रा0, मीरजापुर

(मुहर: मीरजापुर-विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मीरजापुर)

मीरजापुर-विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मीरजापुर

प्राप्त धनराशि की रसीद

मानचित्र सं0 : 10/2015 2016

दिनांक 09-04-15

नम्बर 14283

श्री / श्रीमती कुंज बिहारी लाल रियल्टी प्रा० लि०, बजरिये

पिता / पति / पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल

स्थल निर्माण पता बरौंधा अन्दर आ० सं० 129, 132 व 135, मौजा पुरुषभा मीरजापुर

- मानचित्र शुल्क — रू0 2630.00
- विकास शुल्क / सुदृढ़ीकरण शुल्क — रू0
- अम्बार शुल्क — रू0
- पर्यवेक्षण शुल्क — रू0 106541.00
- भू–विभाजन शुल्क — रू0 30.00
- फार्म बिक्री शुल्क / विविध शुल्क — रू0
- शमन शुल्क — रू0
- पंजीकरण शुल्क / नवीनीकरण शुल्क 1010 वैध/आर- — रू0
- चेक / ड्राफ्ट सं0 016509 दिनांक 26.3.15 कुल योग रू0 109201.00

शब्दों में रुपये एक लाख नौ हजार दो सौ एक मात्र. प्राप्त किया।

ह0 सचिव / एकाउन्टेन्ट / लिपिक
मी0वि0वि0क्षे0वि0प्रा0 मीरजापुर

मीरजापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
मीरजापुर

कार्यालय मीरजापुर-विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मीरजापुर।

पत्रांक प्रेमो /मी0वि0वि0क्षे0 वि0प्रा0/देय शुल्क /मा0सं0- 10 /15-16 दिनांक- 06-01-2016

सेवा मे,

श्री कुंज बिहारी आल रियल्टी प्रा० लि० बजरिए

विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल

आराजी सं० 129, 132, 135, 472 का जुजभाग

बरौधा कछार, मीरजापुर

आप द्वारा प्राधिकरण कार्यालय मे स्वीकृति हेतु मानचित्र दिनांक 9.4.15 को दाखिल किया गया था। जिसके अन्तर्गत जॉचोपरान्त आपके मानचित्र पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार शुल्क देय होगा :-

1.	विकास शुल्क दर रू0 ~~3.00~~ रू0 4.50 रू0 5.00, रू0 7.50 प्रति वर्ग फीट की दर से	धनराशि रू0 61112=00
2.	अम्बार शुल्क दर रू0 11.00 प्रति वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्र पर	धनराशि रू0 NIL
3.	पर्यवेक्षण शुल्क दर रू0 5.00 प्रति वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्र पर	धनराशि रू0 44597=00
4.	सुदृढ़ीकरण शुल्क रू0 26.00 प्रति वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्र पर	धनराशि रू0 NIL
5.	शमन शुल्क	धनराशि रू0 NIL
6.	भू-विभाजन शुल्क	धनराशि रू0 Paid by receipt no 1428 dt 9/4/15
7.	अन्य शुल्क charge for city area developement/ Purchable F.A.R	धनराशि रू0 16,26,059=00
		कुल योग रू0 1751768=00

शब्दों में रूपये सत्रह लाख इक्यावन हजार सात सौ अड़सठ

आपको सूचित किया जाता है कि आप प्राधिकरण के खजाने में उपर्युक्त धनराशि रू0 1751768=00 एक माह के अन्दर जमा कर दें, जिससे आपका मानचित्र स्वीकृत किया जा सके। निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा न करने पर 18% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ शुल्क की वसूली की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

नोट :- शासनादेशानुसार मानचित्र में प्रस्तावित भवन के निर्माण लागत की धनराशि रू0 35,1094-01=00 (Lower Upper) का 1 % उपकर (सेश) की धनराशि रूपया 351094=00 (जो पी0डब्लू0डी0 शिड्यूल 2015 पर आधारित है) को श्रम विभाग में जमा कर उसकी प्राप्ति रसीद/चालान की सत्यप्रतिलिपि की प्रति प्राधिकरण में जमा करने के उपरान्त ही मानचित्र पर अनुज्ञा पत्र जारी किया जायेगा।

06/1/16

सचिव

मीरजापुर-विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र

विकास प्राधिकरण,मीरजापुर

Form A.R.—1
(Para 21 of the A.R.)

Receipt No. Y 290224

Banaras Hindu University

Date 29-10- 2015

Received with thanks from Managing Director, M/s Kunj Behari Lal Realty Pvt. Ltd., Baraundha Ander, Mirzapur.

Rupees (in words) Three Lakh forty two thousand only (D/D No. 303863 dated 23-10-15)

on account of Consultancy charges.

Rs. 3,42,000/-

29/10/15 **Signature**

जानपद अभियांत्रिकी विभाग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी–२२१००५
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, (BHU), VARANASI-221005
Tel : 0542-2368283, 6701525 Fax : 91-542-2368283, Mob: 9415620122 Websites : www.bhu.ac.in : Email: vkumar1655@yahoo.co.in

Ref. No. CE/VK/2015-16/2239

Date: 04.12.2015

To,
Mr. Vishwanath Prasad Agrawal
Managing Director
M/s Kunj Behari Lal Realty Pvt. Ltd.
Baraundha Ander Mirzapur - 231001

Ref. : Your letter No. Nil dated 13.08.2015.

Dear Sir,

With reference to your above letter, the soft copy of STAAD analysis and hard copy of structural drawings for residential building complex situated near bus stand Mirzapur was provided for vetting. The structural drawings were checked for the load and the bearing capacity considered by the designer and it is safe for construction. The checked and corrected structural drawings are enclosed with this letter.

Thanking you,

Yours faithfully,

(V. Kumar)
Professor

Encl.: As above.

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मीरजापुर।

पत्रांक:ST/CFO/MZR/ (ग्रुप हाउसिंग भवन)15, (1) दिनांक:मई 20,2015

सेवा में,

सचिव,
मीरजापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र,
विकास प्राधिकरण,मीरजापुर।

विषयः श्री कुन्ज बिहारी लाल रियल्टी प्रा0लि0 बजरिये डायरेक्टर विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल,बरौघा अन्दर मीरजापुर द्वारा ग्रुप हाउसिंग निर्माण के मानचित्र स्वीकृत के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक:35/मी0.वि0.वि0.क्षे0.वि0.प्रा0.–मा0सं0–10/15–16 दिनांक:23–04–2015.

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अपने संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जो श्री कुन्ज बिहारी लाल रियल्टी प्रा0 लि0 बजरिये डायरेक्टर विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल,बरौघा अन्दर मीरजापुर द्वारा आराजी नं0129, 132,135,472,तापा–84,परगना–कांतित ग्राम–भरूहना में ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु मानचित्र के आधार पर निरीक्षण कर परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य पाये गये:–

1– प्रस्तावित भवन स्टेशन–कचहरी रोड मुख्य मार्ग पर बनाये जाने का प्रस्ताव है जिसकी चौड़ाई 18मीटर है। पहुॅच मार्ग मानक के अनुरूप है।

2– प्रस्तावित भवन का कुल प्लाट एरिया–2512.75 वर्गमीटर है।

3– प्रस्तावित भवन में लोवर/अपर बेसमेन्ट,ग्राउण्ड,प्रथम,द्वितीय,तृतीय, चतुर्थ,पंचम,छठा तल तक बनाये जाने का प्रस्ताव है।जिसमें प्रत्येक बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया–1148.48 वर्गमीटर तथा प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया–995.89वर्गमीटर प्रस्तावित है।

4– प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग में 50परिवार (50यूनिट)के निवास हेतु बनाये जाने का प्रस्ताव है।

5– प्रस्तावित भवन की ऊॅचाई 20.94मीटर है।

6– ए–प्रस्तावित भवन का सामने का सेटबैक–7.05मीटर है।
बी–प्रस्तावित भवन का पीछे का सेटबैक–7.02मीटर है।
सी–प्रस्तावित भवन का 1साइड का सेटबैक–7.25मीटर है।
डी–प्रस्तावित भवन का 2साइड का सेटबैक–7.00मीटर है।

7– प्रस्तावित भवन का सेटबैक मानक के अनुसार है।

8– प्रस्तावित भवन में 1.5मीटर चौड़ाई के 03 स्टेयर केस (जीना)बनाये जाना का प्रस्तावत है। ट्रेवलिंग डिस्ट्रेन्स मानक के अनुसार है।

20.05.15

(चन्द्र शेखर शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मीरजापुर

.....2

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था:–

नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के पार्ट 4 के टेबुल 23 के अनुसार सुरक्षात्मक व्यवस्थायें लगाये जाने का प्रस्ताव है।

1– प्रत्येक तल पर आईएस:2190 के मानक के अनुसार फा0एक्सटिंग्यूशर लगाया जायेगा।

2– प्रत्यके तल पर होजरील की व्यवस्था कराई जायेगी।

3– मानक के अनुसार डाउन कमर की व्यवस्था करते हुए प्रत्येक तल पर आउटलेट लगाये जायेगे तथा आउटलेट के पास होज बाक्स बनाया जायेगा। जिसमें 15–15मीटर का दो–दो होज पाइप तथा एक–एक साधारण ब्रान्च पाइप रखा जायेगा।

4– भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्प्रिन्कलर सिस्टम का प्राविधान किया जाय।

5– सम्पूर्ण भवन में मनुअली आपरेटेड/इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान किया जाय।

6– भवन के टैरेस पर 25000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक व 900एलपीएम क्षमता फायर पम्प लगाया जाय।

7– सम्पूर्ण भवन के जीने में प्रदीप्त संकेत चिन्ह अंकित किया जाय।

अतः भवन निर्माण के पश्चात अग्निशमन व्यवस्थाओ को अधिष्ठापित कराकर भवन को प्रयोग में लेने से पूर्व अग्निशमन विभाग से सत्यापन कराने के शर्त पर प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

संलग्नक:अनुमोदित मानचित्र।

20.05.15

(चन्द्र शेखर शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मीरजापुर

प्रतिलिपि: श्री कुन्ज बिहारी लाल रियल्टी प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर श्री विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल,बरौधा अन्दर मीरजापुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु ।

प्रपत्र-2

(नियम 24(1) देखें)

पंजीयन प्रमाण - पत्र

श्रम विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

पंजीयन संख्या- **D70000867/2015-16/**______/ भ०औ०अ०सन्नि०कर्म०

सत्यापन तिथि - **12/01/2016**

कार्यालय उप/सहायक श्रमायुक्त, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उपधारा (3) के और अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमो के अधीन उपाबद्ध में अधिकथित शर्तो के अधीन रहते हुए **श्री कृष्णा tower** को निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है :-

1.	उस स्थान का डाक पता / अवस्थिति जहाँ नियोजक द्वारा निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य किया जाना है	: **प्लाट नंबर 129, 132,135, ४७२, बरौधा अंदर, मिर्ज़ापुर**
2.	नियोजक का नाम और पता जिसमें भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की अवस्थिति भी सम्मिलित है	: **विस्वनाथ prasad अग्रवाल , पीली कोठी नयी बस्ती, मिर्ज़ापुर**
3.	स्थापन का नाम और स्थायी पता	: **बरौधा अंदर, श्री कृष्णा सिटी सेंटर, मिर्ज़ापुर, प्लाट नंबर 129, 132,135, ४७२, बरौधा अंदर, मिर्ज़ापुर**
4.	उस कार्य की प्रकृति जहाँ भवन निर्माण कर्मकार नियोजित है या नियोजित किये जाने है:	: **मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट**
5.	नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या	: **450**
6.	कार्य प्रारंभ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख:	: **27/01/2016 से 30/12/2018**
7.	भवन निर्माण कर्मकारो के नियोजन के लिए सुसंगत अन्य विशिष्टियां	:

निम्न कार्य के लिए	प्रधान नियोजन का नाम व पता
मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट	**श्रो कुञ्ज बिहारी लाल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर, श्री विस्वनाथ prasad अग्रवाल, पीली कोठी नयी बस्ती, मिर्ज़ापुर**

यहाँ ऊपर प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तो के अधीन है अर्थात :-

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अस्थानान्तारानीय होगा:

(ख) किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापन में भवन निर्माण कर्मकारो की संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या 10 से अधिक नही होगी:

(ग) इन नियमो में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रदान के लिए संद्रत्त की हई फीस अप्रतिदेय होगी !

(घ) भवन निर्माण संदत्त कर्मकारों के नियोजक द्वारा संज्ञेय मजदूरी दर ऐसे नियोजन में जहाँ वह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 2) के अधीन निर्दिष्ट दरों से कम नही होगी और जहाँ दरें किसी करंट समझौते या पंचाट द्वारा नियत की गयी है वह इस प्रकार नियत दरों से कम नही होगी !

(ङ) नियोजन अधिनियम और उनके अधीन बने नियमों के उपबंधो का अनुपालन करेगा !

12.1.16

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बाल मजदूरी हटाये, बचपन बचाए.. कार्यालय:

CIN. U70102MH2011PTC219055

Mob – 9415206058

KUNJBEHARILAL REALTY PRIVATE LIMITED

17 KIKA STREET GULAL WADI MUMBAI MAHARASTRA
SIDE AT BARAUNDHA ANDER MIRZAPUR U.P.231001

Ref :--

Dt:-

सेवा मे,

सहायक श्रमआयुक्त
श्रम विभाग
मिर्जापुर

महोदय,

निवेदन है कि मैं बरौधा अन्दर में एक श्रीकृष्ण टावर के नाम से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसके लिए मुझे एक निर्माण कर्मकार के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के कारण मैंने सामान्य रजिस्ट्रेशन के लिए श्री [illegible] प्रोजेक्ट का नक्शा [illegible] जिसकी प्रति मैं संलग्न [illegible] कर रहा हूँ तथा साथ में विकास प्राधिकरण द्वारा पास नक्शे द्वारा मुझे [illegible] आपके कार्यालय में रु 351094/- तीन लाख इक्यावन हजार चौरानबे मात्र का सेस जमा करना है जिसकी DD NO 319413 दि- 07/1/16 रु 351094/ जमा कर रहा हूँ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे रजिस्ट्रेशन [illegible] का [illegible] तथा 100 की प्रति [illegible] का [illegible] करें।

[illegible]

Received
[signature]
12.01.2016
office सहायक श्रमायुक्त
मीरजापुर

Kunjbeharilal Realty Pvt. Ltd.
[signature]
Director

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0
फतहॉ, मीरजापुर

पत्रांकः 2658/वि0वि0खं0–द्वि0(मी0)/ दिनांकः 30.12.2015

विषयः– अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में।

सचिव,
मीरजापुर विन्ध्याचल विशेष
विकास प्राधिकरण,
मीरजापुर

कृपया आपके पत्र सं0 155/मी0वि0वि0क्षे0वि0प्रा0मा0सं010/2015–16 दिनांक 23.07.2015 के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि श्री कुन्ज बिहारी लाल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड बजरिये डायरेक्टर विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल, बरौधा अन्दर मीरजापुर के अराजी सं0 129,132 व 135,472 में किसी प्रकार की कोई विद्युत लाइन नहीं है न ही कोई लाइन वर्तमान में प्रस्तावित है।

आपको सूचनार्थ प्रेषित।

(यदुनाथ राम)
अधिशासी अभियन्ता